

रिपोर्ट पटवारी

मंडल समिति
सीमांकित पत्र में जिनमें नया हलका में सीमा
नाम अंकित है। क.न. खोतेदार का नाम सीमांकित के प्रमाण
सीमा पत्र दिया जाना उचित है।

[Signature]
6/6/18
12X-21/47915

रिपोर्ट तहसीलदार/गीलावाड़ा

रिपोर्ट प्र. ए. के. प्रमाण व ए. ए. खोतेदार के मंडल
सीमांकित के प्रमाण सीमा पत्र दिए जाने की अहमता
की जाती है।

तहसीलदार (भू. अं.)
हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक 06.06.2018

रिपोर्ट पटवारी हल्का देवरिया भू-अभिलेख निरीक्षक दांतडा एवं तहसीलदार
हुरड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवरिया की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के खाता
संख्या 31 की खातेदार सीमा कॅवर के बजाय सीमा दर्ज कराना चाहा किन्तु
प्रार्थी के द्वारा सीमा कॅवर के स्थान सीमा करावाया जाने बाबत समुचित आधार नहीं
होने से मैं न्यायालय प्रार्थी नाम दुरस्त किया जाना उचित नहीं समझता है तदनुसार यह
प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट
ऊखलिया पर सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

(नन्दकिशोर राजोरा)
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

Web Copy - Not Official